International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030
Impact Factor: RJIF 5.24
www.advancedjournal.com
Volume 3; Issue 3; May 2018; Page No. 178-179

छत्तीसगढ़ में महिला उत्पीड़न एक विश्लेषण

डॉ० पुष्पा तिवारी
सहायक प्रध्यापक, शासकीय दू० ब० म० स्ना० स्वशासी महाविद्यालय, कालीबाड़ी, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत।

प्रस्तावना

समाज के विकास में स्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान है। वैदिक काल में सम्मान जनक पद प्राप्त था और कहा जाता था कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है। वहाँ देवता निवास करते है। इस काल की गार्गी व मैत्रीय विदुषी महिलाएँ थी। इस काल में सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक कार्य बिना पत्नी के नहीं होते थे। स्त्रियों को समान अधिकार प्राप्त था। मुगल काल में पर्दा प्रथा तथा अंग्रेज काल में बाल विवाह का प्रचलन हुआ। बालिका शिक्षा न होने से वे लगातार पिछड़ती गयी तथा प्रजातंत्र के लिये एक अभिशाप व चुनौती बन गयी।

लिंग भेदभाव भी सामाजिक विकास में बाधक है। स्त्री–पुरूषों में असमानता के व्यवहार से सामाजिक विकास अवरूद्ध हो जाता है। मध्य युग के पूर्व स्त्री व पुरूष की प्रभावता में समान, वृद्धि तेजी से हुई किन्तु धार्मिक रूढ़ियों ने उसे उसके अधिकारों से वंचित किया जिसमें सामाजिक विकास अवरूद्ध हो गया।

इतिहास साक्षी है जब–जब महिलाओं को मौका मिला है तब–तब उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर समाज व देश को गौरान्वित किया है जैसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में वीरागंना लक्ष्मी बाई, अहिल्या बाई, रानी दुर्गावती ने अपनी वीरता का परिचय दिया है तथा इसी तरह कस्तुरबा गांधी, इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, श्रीमति कमला देवी चटोपाध्याय, राजकुमारी अमृत कौर आदि का नाम उल्लेखनीय है।

छत्तीसगढ़ सरकार जहाँ विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे कार्यो के लिये पुरस्कार प्राप्त कर रही है तथा विश्वनीय छत्तीसगढ़ का नारा दे रही है दूसरी ओर सरकार प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। राज्य में हर रोज तीन महिलाओं की अस्मत लूटी जा रही है। बलात्कार के मामले में छत्तीसगढ़ देश में चौथे नम्बर पर है। 18 से 30 वर्ष की महिलाएँ सबसे अधिक दुष्कर्म की शिकार हुई है यह खुलासा केन्द्रीय अपराध रिकार्ड व्युरो (एन.सी.आर.बी.) ने किया है।

एक और आश्यर्च करने वाली शर्मसार कार्य छत्तीसगढ़ में हो रहा है वो है जशपुर संभाग की आदिवासी युवतियों को झांसा देकर बेचा जा रहा है आर्थिक रूप से पिछड़ा आदिवासी बाहुल्य जशपुर जिला कबूतरबाजी के बड़े बाजार के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। जिसकी खबर अधिकतर आये–दिन दैनिक अखबारों में पढ़ा जा सकता है।

इसी तरह की घटना सरगुजा क्षेत्र व बस्तर क्षेत्र में भी हो रहा है। पिछले 4–5 सालों से यह धंधा खूब फल–फूल रहा है। प्लेसमेंट एजेंसिया युवतियों को बड़ी कंपनियों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर सप्लाई करते है। इसके लिये दलाल जगह–जगह सक्रिय रहते है और 20 से 25 हजार में बेच देते है इसमें अधिकतर आदिवासी किशोरी शामिल रहती है जो गरीबी के कारण, बेरोजगारी के कारण अच्छे नौकरी और वेतन के झांसे में जल्दी आ जाती है। छत्तीसगढ़ महिलाओं पर अत्याचार के मामले में देश में 5 वे स्थान पर है बलात्कार के मामले में 4 स्थान तथा छेड़छाड़ के मामले में टॉप टेन में शामिल है इसके अतिरिक्त महिलाओं पर विभिन्न प्रकार के शोषण होते है जैसे दहेज प्रताड़ना, कन्या भ्रूण हत्या, मारपीट, घरेलु हिंसा, अपहरण आदि। अधिकतर महिलाये प्रताड़ना सहन न कर पाने के कारण आत्म हत्या कर लेती है। महिलाओ के आत्म हत्या के मामले में छत्तीसगढ़ देश में आठवे स्थान पर है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के विरूद्ध अपराध के आंकड़े निम्न है (2013– l4)

कुल अपराध	–	4176
बलात्कार	–	1012
अपहरण	–	279
दहेज हत्या	–	115
पति से प्रताड़ना	–	861
छेड़छाड़	–	1706
यौन उत्पीड़न	–	182
लड़कीयों की तस्करी	–	131
अनैतिक सम्बन्ध	–	12
दहेज प्रताड़ना	–	06

तालिका 1: आयुवार बलात्कार के आंकड़े

0–10	10–14	14–18	18–30	30–50	50 से अधिक
24	87	271	424	190	16

दुष्कर्म करने वाले

परिजन	–	21
रिश्तेदार	–	81
पड़ोसी	–	379
अनजान	–	534

महिलाओं के खिलाफ कुल अपराघ दर्ज

– वर्ष 2015 में – 5783 ।
– वर्ष 2016 में – 5947 ।

2016 में सबसे अधिक 1627 मामले बलात्कार के । इनमें से 54 सामूहिक बलात्कार । 20 बलात्कार की कोशिश और 22 अप्राकृतिक दुष्कर्म के भी मामले । 1527 मामले अपहरण के । इसमे से एक मामले में महिला की हत्या कर दी गई । मानव तस्करी के भी 54 केस है ।

महिला उत्पीड़न का कारण

1. महिलाओं को समाज का भय व डर जो प्रताड़ित होने पर भी कानून का सहारा नहीं लेते और चुप–चाप लाज के डर से बर्दास्त कर लेती है।
2. लचर कानून व्यवस्था जिससे अपराधियों को भय नहीं है।
3. समाज में महिलाओं को पुरूष के बराबर नहीं समझना और न ही सम्मान के नजर से देखना।
4. स्त्रिओं को उपयोगी वस्तु समझना उनकी जज्बात और भावनाओं को नहीं समझना।
5. दहेज प्रथा का पूर्ण रूप से समाप्त न होना।
6. कन्या भ्रूण हत्या महिलाओं की मजबूरी क्योंकि पुरूष प्रधान समाज का होना।
7. सरकार द्वारा महिलाओं के विकास में कागजी कार्यवाही अधिक तथा प्रताड़ना रोकथाम में कमी।
8. गरीबी और बेरोजगारी जिसके कारण महिला व किशोरी बेची व खरीदी जाती है।
9. शादी का झांसा देकर बलात्कार किया जाना।
10. अजनबियों पर अतिविश्वास करना।
11. रिश्तेदारों पर विश्वास व पड़ोसियों पर विश्वास करना।
12. हवश के नशे में रिश्तेदारी को न समझना।
13. नशा और अपराध।

महिला उत्पीड़न का प्रभाव

जिस देश में व राज्य में स्त्रिओं का सम्मान न हो, स्त्रियों की सुरक्षा न हो उस देश व राज्य का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो सकता , क्योंकि महिलायें माँ के रूप में, बहिन के रूप में व बेटी के रूप में परिवार के जिम्मेदारियों का निर्वाह करती हैं साथ ही साथ परिवार समाज व देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर समाज, राज्य व देश को गौरान्वित करती है।

अगर महिलायें असुरक्षित रहेगी तो न वे परिवार का दायित्व निभा पायेगी और न ही समाज हित में अपनी भूमिका का निर्वाह कर पाएगी। आज महिलायें दोहरी भूमिका का निर्वाह कर रही है तब भी शोषित, प्रताड़ित है ये समाज के लिये राज्य व देश के लिये शर्म की बात है। एक तरफ कन्या भ्रूण हत्या दूसरी तरफ बलात्कार, अपहरण, दहेज प्रताड़ना खरीदी बिक्री जैसे अपराधिक कृत्य होता रहा तो इस दुनिया के समाप्त होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि महिलाओं की संख्या दिन ब दिन घटेगी तब लिंगानुपात में बहुत फर्क आएगा और इससे समज का विनाश धीरे–धीरे गर्त में ले जाएगा। वर्तमान समय में सभी जाति व धर्म में महिलाओं की संख्या घट रही है। जिससे समाज में विवाह सम्बन्धी समस्या विराट रूप में सामने आ रहा है। और बिन व्याहे, पुरूष अपना जीवन व्यतीत कर रहे है। अतः समय रहते सावधान समाज व राज्य न हो पाये तो इसे प्रलय के रूप में भविष्य में देखा जायेगा।

महिला उत्पीड़न को रोकने का सुझाव

1. महिलाएँ, साहसिक बने।
2. महिलाएँ लाज व शर्म को दरकिनार करें। कानून का साथ दे।
3. समाज महिलाओं को सम्मान दें।
4. कानून सुरक्षा प्रदान करें।
5. कड़ी कानून व्यवस्था को बनाकर रखे। कोताही न बरते।
6. समाज में महिलाओं को पुरूष के बराबर समझा जाये।
7. महिलाये भविष्य है जन चेतना जगाये। "महिला है तो सब है"
8. अपराधी को सबके सामने सख्त सजा दे ताकि अन्य लोग अपराध न करें।
9. महिलाएँ शिक्षित बने व अधिकार को समझे।
10. दहेज प्रथा को पुर्ण रूप से समाप्त किया जाये।
11. नशा मुक्त समाज बनाये ताकि महिलाओं पर घरेलु हिंसा न हो।
12. महिलाये आत्म निर्भर बने।
13. तलाक संबंधी कानून को कड़ा किया जाये ताकि पुरूष महिलाओं को बार–बार न बदले।

संदर्भ

1. केन्द्रीय अपराध रिकार्ड व्युरो का बेव साइट
2. छत्तीसगढ महिला आयोग का बेव साइट
3. केन्द्रीय महिला आयोग का बेव साइट
4. 2005 घरेलु हिंसा अधिनियम से महिलाओं का संरक्षण 2007.
5. सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग कार्यक्रम का कार्यान्वयन सांख्यिकी मंत्रालय भारत सरकार 2014.
6. केन्सस ऑफ इंडिया 2011.–
7. सत्य दूबे मिश्रा, मनु की समाज व्यवस्था, किताब महल, प्रथम संस्करण, कलकत्ता, 1964 .
8. भूषण केयर, छत्तीसगढ के नारी रत्न, जन चेतना प्रकाशन, सुंदर नगर, रायपुर, 2002.
9. खन्ना गिरजा, इंडिया वूमेन, टूटे विकास पब्लिशिंग, नई दिल्ली, 1978 .
10. पत्रिका दैनिक समाचार – 29.10.2011
11. पत्रिका दैनिक समाचार – 23.12.2011
12. दैनिक भास्कर मधुरिमा – 28.12.2011
13. पत्रिका दैनिक समाचार – 23.01.2012
14. नवभारत दैनिक समाचार – 25.02.2012
15. पत्रिका दैनिक समाचार – 25.02.2012
16. पत्रिका दैनिक समाचार – 01.12.2017